BSES

बिजली चोरी में 3 फैक्ट्री मालिकों को जेल

68 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़े गए थे, 21. 35 लाख का जुर्माना हुआ

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2009। पटपड़गंज स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने अवैध रूप से फैक्ट्रीज चला रहे 3 लोगों को, के आरोप में तिहाड़ जेल भेज दिया है। तीनों फैक्ट्री मालिक कुल मिलाकर, 68 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़े बीएसईएस ने उन पर 21. 35 लाख रूपये का जुर्माना किया था, लेकिन आरोपियों ने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं इसके बाद बीएसईएस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और मामले को बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले ग स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। बिजली चोरी के आरोपी विपिन कुमार दिल इलाके में फैक्ट्री चला रहा था, जबकि मोहम्मद सादिक सीलमपुर में, और मेहरबान करावल नगर में फैक्ट्री चला रहा था

- <u>आरोपी विपिन की जमानत अर्जी खारिज</u>

दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में *ब्रास टेप* बनाने की फैक्ट्री चला रहे विपिन को बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने मार्च बिजली चोरी करते पकड़ा था। आरोपी 26 किलोवॉट की बिजली चोरी कर रहा था। हालांकि, आरोपी की फैक्ट्री में बिजली मीटर लगा हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से जला हुआ मिला और आरोपी, पास से गुजर रही बीएसईएस की कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहा था। बाद में, जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने बिजली मीटर को जान–बूझ दिया था, ताकि पिछली खपत को छिपाया जा सके।

बीएसईएस ने आरोपी पर 7.86 लाख रूपये का जुर्माना किया। फैक्ट्री मालिक और रजिस्टर्ड उपभोक्ता, बिजली चोरी के बीएसईएस की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस को नजरअदाज करते रहे और अंततः जुर्माने का भुगतान नहीं कि बाद बीएसईएस ने स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने विपिन कुमार को गिरफ्तार कर, उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया।

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। विपिन कुमार ने अदालत से कहा कि वह तो सिर्फ एक कर्मचारी भर है, फैक्ट्री का मालिक इस आधार पर उसे जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन, अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और उसे न्यायिक तिहाड़ जेल भेज दिया।

- <u>प्लास्टिक मॉल्डिंग फैक्ट्री चला रहे सादिक को जेल</u>

बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने सीलमपुर स्थित एक प्लास्टिक मॉल्डिंग फैक्ट्री पर जुलाई, 2008 में छापा मारा। मोहम्मद इस फैक्ट्री में कुल 22 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। आरोपी अपनी फैक्ट्री में 8.2 किलोवॉट की बिजली क कर रहा था, जबकि उसी फैक्ट्री के ऊपर बने अपने घर में वह 13. 29 किलोवॉट बिजली की खपत कर रहा था। खास कि न तो आरोपी की फैक्ट्री और न ही उसके आवास में कोई बिजली मीटर मिला।

भारतीय बिजली कानून के तहत आरोपी पर 4. 34 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया बीएसईएस ने आरोपी मोहम्मद सादिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और फिर स्पेशल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरास जेल भेज दिया।

- <u>मोहम्मद मेहरबान पर भी कोर्ट नहीं हुआ मेहरबान</u>

करावल नगर के बृजपुरी में चल रही एक फैक्ट्री पर बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने अगस्त, 2006 में छापा मार कर, 25 की बिजली चोरी पकड़ी थी। यहां 21. 36 किलोवॉट बिजली का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा थ 5 किलोवॉट बिजली घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोपी के यहां बि मीटर थे, लेकिन दोनों ही डिसकनेक्टेड थे और आरोपी, बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर बिजली की चोरी कर

बीएसईएस ने मेहरबान पर 9.15 लाख रूपये का जुर्माना किया था, लेकिन उसने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। अंततः ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और अब स्पेशल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित क प्रतिबद्ध है।